

पद का नाम	केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रणाली विश्लेषक के पद के लिए 01 (एक) रिक्ति, अनारक्षित ।	
विज्ञापन सं.	17/2023	
रिक्ति सं.	23091701509	
अनिवार्य योग्यताएँ (ईक्यू)	<p>(क) शैक्षिक</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एम. एससी. (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. या बी.टेक.</p> <p>(ख) अनुभव : किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रोग्रामिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का योग्यता प्राप्त करने के बाद का अनुभव।</p>	
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अनिवार्य योग्यता -क + अनिवार्य योग्यता -ख को 8वर्ष और उससे अधिक तक बढ़ाया गया।
मानदंड	<p>i) प्रारंभिक संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन किए गए दावों के आधार पर / ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद, आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामलों में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p> <p>ii) ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर, संवीक्षा के लिए अनुभव के रूप में विचार किया गया है और ओआरए के अनुभव कॉलम में इसके संदर्भ के बिना संलग्न प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. या बी.टेक. को संगत अनिवार्य योग्यता 'क' माना गया है।</p> <p>iv) जिन उम्मीदवारों ने न तो आवश्यक शैक्षिक योग्यता की मार्कशीट और न ही डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उन्हें अनन्तिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है बशर्ते कि वे पूर्ण संगत दस्तावेज प्रस्तुत करें।</p> <p>v) अतिथि संकाय / प्रशिक्षु कार्य / अंशकालिक / अनुसंधान कार्य / इंटरशिप अवधि व्यापार प्रमाण पत्र / को अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रासंगिक नहीं माना गया है और "अपूर्ण श्रेणी"के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।</p>	

	<p>vi) शिक्षण अनुभव को संगत नहीं माना गया है।</p> <p>vii) ऐसे आवेदन जिनमें उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन आवेदनों में आवश्यक अनुभव के रूप में दावा किया गया अनुभव प्रासंगिक नहीं है, उन्हें एलईक्यू बी [अनिवार्य योग्यता-ख (अनुभव)] की कमी श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>viii) अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रोफॉर्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण पत्रों पर, मेरिट के आधार पर विचार किया गया है यदि उनमें सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो।</p> <p>ix) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र और स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र या स्वरोजगार प्रमाण पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी प्रासंगिक अनुभव की कमी वाली श्रेणी में माना गया है लेकिन 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>x) बिना कार्यों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए हुए अनुभव प्रमाण पत्रों पर भी विचार नहीं किया गया है और उन्हें 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जो आवेदक प्रासंगिक अनुभव का दावा करते हैं, लेकिन उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र दावा की गई पूरी अवधि के नहीं हैं या किए गए दावों का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>xi) ऐसे आवेदन जिनमें उम्मीदवारों ने 8 वर्ष और उससे अधिक के अनुभव का दावा किया है, उन्हें विचार के क्षेत्र (जेडओसी) में रखा गया है और शेष को एलईसी श्रेणी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी) के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>xii) विज्ञापन में निर्दिष्ट प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव को ध्यान में रखा गया है। यदि अनुभव प्रासंगिक क्षेत्र में नहीं है जैसा कि भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में निर्दिष्ट है या परिकलित प्रासंगिक अनुभव भर्ती नियमों में निर्दिष्ट आवश्यक अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू-बी" के तहत खारिज कर दिया गया है। केवल प्रासंगिक अनुभव की समय अवधि, जिसके लिए आवश्यक प्रासंगिक अनुभव दर्शाने वाले/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न हैं, पर ही विचार किया गया है। ऐसे आवेदक जो प्रासंगिक अनुभव का दावा करते हैं लेकिन उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र, किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप में खारिज कर दिया गया है।</p> <p>xiii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के तहत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सबसे उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>टिप्पणी:-आयोग द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर, अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।</p>
<p>शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक</p>	<p>साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा:  अनुक्रमांक:  015, 017, 031, 032, 050, 053, 108, 223, 253, 265*, 303, 318, 381*,</p>

	390, 393 (15 उम्मीदवार) * अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी के माध्यम से उनसे अलग से मांगे गए दस्तावेजों को जमा करने हेतु कहा गया है। यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पहले दस्तावेज जमा करने में विफल होता है तो उसके आवेदन को अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा।	
शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अस्वीकार श्रेणी	अनुक्रमांक
	अनिवार्य योग्यता की कमी - क	039, 291, 377, (03 उम्मीदवार)
	अनिवार्य योग्यता की कमी - ख	002, 003, 014, 060, 076, 081, 115, 117, 153, 164, 189, 198, 218, 243, 244, 272, 284, 285, 287, 319, 320, 372, 395 (23 उम्मीदवार)
	अपूर्ण	007, 028, 035, 038, 051, 088, 093, 097, 099, 101, 143, 145, 150, 160, 172, 174, 178, 197, 201, 208, 212, 215, 216, 220, 229, 231, 246, 256, 257, 258, 263, 297, 312, 315, 321, 323, 328, 330, 337, 340, 358, 360, 374, 375, 387, 389, 397, 401, 407, 420 (50 उम्मीदवार)
	बढ़े हुए मानदंड की कमी	006, 048, 057, 090, 100, 121, 122, 129, 133, 151, 184, 200, 238, 248, 281, 307, 327, 409 (18 उम्मीदवार)

संकेतक :

एलईक्यू (क) : अनिवार्य योग्यता (शैक्षिक) की कमी।

एलईक्यू (ख) : अनिवार्य योग्यता (अनुभव) की कमी।

एलईसी : बढ़ाए गए मानदंड की कमी।

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. जिन उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित ईमेल id पर अलग से ईमेल के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के अध्यक्षीय साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे 22.09.2024 तक [usr5.upsc@nic.in](mailto:usr5.upsc@nic.in) पर दस्तेवाज जमा कर सकते हैं, ऐसा न करने पर आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. वे उम्मीदवार जो इस पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार, उनके आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक 22.09.2024 तक उचित आधार / कारणों के साथ अभ्यावेदन [usr5.upsc@nic.in](mailto:usr5.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात प्राप्त मेल खोली नहीं जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधार / कारण, अपनाए गए मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्यो को अस्वीकृत रखा जाएगा। हालांकि, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इसकी जांच की जाएगी इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन

संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।

3. उन सभी उम्मीदवारों की सूची, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था, उनके अनुक्रमांक के साथ आयोग की वेबसाइट निम्नलिखित पथ पर अपलोड कर दी गई है:

Home>>Recruitment>>Status of Recruitment Cases (Advertisement-wise)>>Applicant's list.

ध्यान दें: साक्षात्कार कार्यक्रम यथासमय अपलोड किया जाएगा।

अवर सचिव(भर्ती.V)

उपरोक्त विवरण के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्यहोगा।